कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 127/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना– दीदारगंज, जनपद– आजमगढ़

□8.4 किलोग्राम गांजा के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

□बरामद गांजा की अनुमानित कीमत लगभग ₹1,00,000

□थाना दीदारगंज पुलिस, सर्विलांस व विशेष टीम की संयुक्त कार्रवाई

आजमगढ़। थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा संयुक्त टीम के साथ प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 8.4 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 29.03.2026 को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुष्पनगर चौराहे पर मौजूद थे, तभी सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महुआरा खुर्द नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति नीले बैग में अवैध गांजा लेकर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया गया। क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री किरनपाल सिंह की उपस्थिति में तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से नीले बैग में रखा 03 बण्डल अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन कुल 8.400 किलोग्राम पाया गया। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत लगभग ₹1,00,000 है।

➡□अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS Act में समय करीब 00:05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 58/26 धारा 8/20 NDPS Act थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त–

उपेन्द्र कुमार पुत्र विश्वनाथ राय

निवासी ग्राम धौरीमदालपुर थाना मसरख जनपद छपरा (बिहार), उम्र लगभग 30 वर्ष

बरामदगी–

08.400 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹1,00,000)

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री किरनपाल सिंह
2. प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश थाना दीदारगंज
3. विशेष चोरी अनावरण टीम जनपद आजमगढ़
4. उ0नि0 अवधेश कुमार हे0का0 मुकेश यादव का0 अभिमन्यु मौर्य सर्विलांस टीम जनपद आजमगढ़

थाना– पवई, जनपद– आजमगढ़
□लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार
□घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की रॉड बरामद

आजमगढ़। थाना पवई पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट करने की घटना में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाजुर्म लोहे की रॉड बरामद की गयी है।

घटना का विवरण–
दिनांक 29.03.2026 को वादी/मजरूब अभिषेक पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ मजरूबी हालत में अपनी माता परमीला देवी व भाई आकाश के साथ थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 28.03.2026 को समय लगभग 10:00 बजे रात्रि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण 1. बलवीर पुत्र जियालाल, 2. नवाब उर्फ शिवा पुत्र रमेश, 3. मंजीत पुत्र मेवालाल निवासीगण सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डा एवं लोहे की रॉड से जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आयी। आसपास के लोगों के आने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये।

➡□प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 70/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी।
गिरफ्तारी का विवरण–
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 30.03.2026 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त बलवीर पुत्र जियालाल निवासी ग्राम सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 22 वर्ष को चकिया अंडरपास के पास से समय 12:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को अपराध का बोध कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।
बरामदगी–
घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की रॉड बरामद।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 70/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) BNS थाना पवई जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास–
मु0अ0सं0 70/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) BNS थाना पवई जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त–
बलवीर पुत्र जियालाल निवासी ग्राम सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
1. उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा
2. का0 सुरेन्द्र यादव
3. का0 अमित पाल, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

थाना– बिलरियागंज, जनपद– आजमगढ़

जमीन खरीद–फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आजमगढ़। थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा जमीन खरीद–फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी एवं कूटरचना करने के प्रकरण में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 12.03.2026 को वादी मुकदमा दीपक यादव पुत्र जोखन यादव निवासी ग्राम नौबरार त्रिपुरा खालसा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़, हाल मुकाम ग्राम बघैला थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह ग्राम बघैला में मेडिकल स्टोर संचालित करता है। विगत लगभग 05 वर्षों से डॉ. सचिन यादव, सच्चिदानन्द यादव पुत्रगण विजय यादव तथा राजपाल यादव (जीजा सचिन यादव) एवं विजय यादव निवासीगण परेवा रूद्रपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का उसके मेडिकल स्टोर पर आना-जाना था।

➡ उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी को विश्वास में लेकर अपने ससुर की जमीन गाटा संख्या 545 व 596 (क्षेत्रफल लगभग 37 बिस्वा) को 30 लाख रुपये में बेचने की बात कही गयी। विश्वास में लेकर अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी से विभिन्न तिथियों में ₹15 लाख रुपये बैंक खाते में तथा ₹13 लाख रुपये नगद प्राप्त कर लिये गये। कुल ₹28 लाख रुपये प्राप्त करने के बाद भी अभियुक्तगण द्वारा जमीन का बैनामा नहीं किया गया तथा जानकारी करने पर पता चला कि उक्त जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी गयी है।

➡ बाद में पंचायत के दौरान अभियुक्त विजय यादव द्वारा ₹28 लाख रुपये का चेक दिया गया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर हस्ताक्षर मेल न खाने के कारण वापस हो गया। पुनः एक अन्य चेक दिया गया, जो भी कूटरचित पाया गया। विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 29.03.2026 को वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त सचिन यादव को भोपतपुर कल्यानपुर (रौनापार) चौक के पास देखकर यूपी-112 पर सूचना दी गयी। सूचना पर पीआरवी-7464 मौके पर पहुंची एवं अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर थाना बिलरियागंज लाया गया।

➡ दिनांक 30.03.2026 को समय लगभग 09:50 बजे अभियुक्त सचिन यादव को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 56/2026 धारा 318(4)/336/336(3)/338/340/352/351(3) BNS
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

सचिन यादव पुत्र विजय कुमार यादव निवासी ग्राम परेवा रूद्रपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. सुनील कुमार दुबे, थानाध्यक्ष बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार, थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना– बरदह, जनपद– आजमगढ़

□अन्तरजनपदीय चोर गिरोह के 05 अभियुक्त गिरफ्तार

□चोरी का इन्वर्टर, स्टेप्लाइजर, केबल, पायल व चोरी के औजार बरामद

□₹600 नगद बरामद, दो मोटरसाइकिल सीज

□पुलिस की सक्रियता से चोरी की घटना का सफल अनावरण

आजमगढ़। थाना बरदह पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अन्तरजनपदीय चोर गिरोह के 05 अभियुक्तों को चोरी के सामान एवं औजारों सहित गिरफ्तार किया गया है।

➡□दिनांक 29.03.2026 को वादी संतोष पुत्र श्रीराम विन्द निवासी ग्राम वंधवा इस्लाम थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 28/29.03.2026 की रात्रि में उनकी एजेंसी (उसुरगांवा) का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा इन्वर्टर, बैटरी व अन्य सामान चोरी करने का प्रयास किया गया। सूचना के आधार पर थाना बरदह पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

➡□विवेचना के दौरान दिनांक 30.03.2026 को उ0नि0 अम्बुज कुमार मय पुलिस टीम द्वारा बर्रा चौराहे पर संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार 05 व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई, जिनके कब्जे से चोरी का सामान एवं चोरी करने के औजार बरामद हुए। सभी अभियुक्तों को समय लगभग 03:10 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡□पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे योजनाबद्ध तरीके से दिन में रेकी कर रात्रि में मकानों/दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करते थे तथा चोरी के सामान को आपस में बांटकर बेच देते थे। चोरी के दौरान पहचान छिपाने हेतु दस्ताने, मास्क, गमछा आदि का प्रयोग करते थे तथा मोबाइल फोन एयरप्लेन मोड में रखते थे।

पंजीकृत अभियोग

□ मु0अ0सं0 108/26 धारा 331(4)/305/62 BNS थाना बरदह जनपद आजमगढ़

□ मु0अ0सं0 09/26 धारा 305(ए), 331(4) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

□ मु0अ0सं0 132/26 धारा 305(ए) BNS थाना लाइनबाजार जनपद जौनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अंजनी मौर्या पुत्र लक्ष्मीनरायन मौर्या थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर
2. अभिषेक मौर्या पुत्र योगेश मौर्या थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर
3. राजकुमार त्यागी पुत्र शशिभूषण त्यागी थाना लाइनबाजार जनपद जौनपुर
4. सुमित मौर्या पुत्र रामलखन मौर्या थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर
5. काजू पाल पुत्र पारस पाल थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

बरामदगी
- ☐ एक अदद इन्वर्टर (ल्यूमिनस कम्पनी)
- ☐ एक अदद स्टेप्लाइजर
- ☐ तीन बण्डल बिजली के केबल
- ☐ एक जोड़ी पायल (सफेद धातु)
- ☐ चोरी करने के औजार (रुखानी, रम्मा, राड, प्लास)
- ☐ ₹600 नगद
- ☐ दो अदद मोटरसाइकिल (धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 अम्बुज कुमार
का0 पवन कुमार भारती
का0 मो0 आरिफ
का0 विकास कुमार कुशवाहा
का0 विद्याकान्त
का0 सूरज कुमार सिंह
थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना– बरदह, जनपद– आजमगढ़
☐ट्रक का नंबर बदलकर ट्रांसपोर्ट के नाम पर लिया गया 253 कुंतल चावल बेचने वाला अन्तरजनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार
☐घटना में प्रयुक्त ट्रक व ₹15,000 नगद बरामद
☐₹7,08,400 मूल्य का माल गंतव्य तक न पहुंचाकर रास्ते में बेचने का मामला
☐पुलिस की त्वरित कार्रवाई से घटना का सफल अनावरण

आजमगढ़। थाना बरदह क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट के नाम पर ट्रक का नंबर बदलकर 253 कुंतल चावल बेच देने के मामले में थाना बरदह पुलिस द्वारा अन्तरजनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है।

➡☐दिनांक 29.01.2026 को वादी नन्दलाल गुप्ता पुत्र कुबेर गुप्ता निवासी ग्राम बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि उनकी फर्म राहुल ट्रेडिंग कम्पनी से दिनांक 29.11.2025 को ट्रक संख्या UP65FT-1322 पर 253 कुंतल चावल (मूल्य ₹7,08,400) कृष्णा उद्योग, जवाहर नगर इंडस्ट्रियल एरिया दुर्ग (छत्तीसगढ़) भेजा गया था, जो गंतव्य तक नहीं पहुंचा। पूछताछ करने पर ट्रांसपोर्टर द्वारा संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 32/26 धारा 316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.03.2026 को उ0नि0 रितेश खरवार मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम पारा गेट के पास से देवगांव की ओर से आ रहे ट्रक संख्या UP65FT1322 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक की पहचान वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटो से मिलान करने पर उसकी पहचान रामाकान्त यादव उर्फ मेघू यादव पुत्र विजय कुमार यादव निवासी ग्राम घोघवा रामपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर के रूप में हुई, जिसे मौके से गिरफ्तार किया गया।

➡ तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से बेचे गए माल से प्राप्त शेष ₹15,000 नगद बरामद किए गए तथा घटना में प्रयुक्त ट्रक को भी कब्जे में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 316(2) बीएनएस का लोप करते हुए धारा 341(2), 303(2), 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

➡ पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने अपने ट्रक का वास्तविक नंबर UP65ET8991 होने के बावजूद योजना बनाकर फर्जी नंबर UP65FT1322 लगाकर 253 कुंतल चावल रास्ते में एक दलाल को लगभग साढ़े पांच लाख रुपये में बेच दिया। प्राप्त धनराशि से उसने ट्रक की मरम्मत, किस्त भुगतान एवं अन्य खर्च किए।

सम्बन्धित मुकदमा
मु0अ0सं0 32/26 धारा 341(2), 303(2), 317(2) बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त
रामाकान्त यादव उर्फ मेघू यादव पुत्र विजय कुमार यादव निवासी ग्राम घोघवा रामपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी
• घटना में प्रयुक्त एक अदद ट्रक
• ₹15,000 नगद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0/विवेचक रितेश खरवार
व0उ0नि0 सुरेशचन्द्र मिश्रा
हे0का0 कमलेश प्रसाद
का0 अनिल सरोज
थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना– कप्तानगंज, जनपद– आजमगढ़
□घर में घुसकर मारपीट करने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
□ पुरानी रंजिश के चलते लाठी-डंडा व धारदार हथियार से किया गया था हमला
□ पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई, अभियुक्त गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय

आजमगढ़। थाना कप्तानगंज क्षेत्र अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡□दिनांक 08.12.2025 को वादी श्री संजय सिंह पुत्र स्व० अमृत सिंह निवासी ग्राम विलारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 07.12.2025 को समय लगभग 07:30 बजे शाम को विपक्षीगण अनिल सिंह व रौनक सिंह निवासीगण ग्राम विलारी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर उनके घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडा व धारदार हथियार से उनके पुत्र यज्ञेश पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। बीच-बचाव करने आए दूसरे पुत्र श्रृजेश को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा वादी को भी जान से मारने की धमकी दी गई।

➡□प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 400/2025 धारा 109(1)/115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

➡□वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.03.2026 को म0उ0नि0 सानिया गुप्ता मय पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त रौनक सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम विलारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 20 वर्ष को देवहट्टा पुलिया के पास से समय लगभग 16:10 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡□अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

सम्बन्धित मुकदमा
मु0अ0सं0 400/2025 धारा 109(1)/115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त
रौनक सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम विलारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
म0उ0नि0 सानिया गुप्ता
का0 मिथिलेश यादव
का0 साजिद अली
थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक- 30.03.2026

सक्सेज स्टोरी, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस की ऐतिहासिक उपलब्धि

महिलाओं एवं बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

पीड़ित महिलाओं को ₹ 25,19,200/- (पच्चीस लाख उन्नीस हजार दो सौ रूपयें) की भरण–पोषण धनराशि दिलाई गई

अब तक कुल 246 मामलों में ₹ 48,19,600/- (अड़तालीस लाख उन्नीस हजार छः सौ रूपयें) की धनराशि पीड़िताओं के खातों में पहुंचाई गई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में लंबित भरण–पोषण से संबंधित मामलों को चिन्हित कर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए व्यापक एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन को सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा महिला अधिकारों की रक्षा एवं न्याय दिलाने की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय एवं प्रभावशाली पहल की गई है।

प्रमुख उपलब्धियाँ / बिंदु

1. लंबित मामलों की गहन समीक्षा

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के शुभारंभ के उपरांत जनपद के सभी थानों में महिलाओं से संबंधित भरण–पोषण के लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। थानों के पैरोकारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक वाद को माननीय न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जिससे पीड़िताओं को शीघ्र न्याय मिल सके।

2. माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस पैरोकारों एवं थाना स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रकरण का सूक्ष्म अध्ययन कर माननीय न्यायालय में निरंतर उपस्थिति के माध्यम से सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई। वर्षों से भरण–पोषण की धनराशि से वंचित महिलाओं एवं उनके बच्चों को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता रहा।

3. रिकॉर्ड समय में धनराशि दिलाई गई

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत दिनांक- 02.02.2026 से 29.03.2026 तक प्रभावी पैरवी के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को ₹ 25,19,200/- (पच्चीस लाख उन्नीस हजार दो सौ रुपये) की भरण–पोषण धनराशि दिलाई गई।

अब तक कुल 246 भरण–पोषण के मामलों में प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप ₹ 48,19,600/- (अड़तालीस लाख उन्नीस हजार छः सौ रूपयें) की धनराशि पीड़ित महिलाओं के बैंक खातों में प्रेषित कराई जा चुकी है।

4.सामाजिक प्रभाव

भरण–पोषण की धनराशि प्राप्त होने से आर्थिक संकट से जूझ रही महिलाओं एवं उनके बच्चों को बड़ी राहत मिली है। कई परिवारों के जीवनयापन में स्थायित्व आया है। इस पहल से महिलाओं का न्याय प्रणाली एवं पुलिस प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है, तथा पीड़िताओं के चेहरों पर पुनः मुस्कान लौट आई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने कहा—

“मिशन शक्ति 5.0 अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रदान करना है। भरण–पोषण से जुड़ी पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाना जनपद पुलिस की प्राथमिकता है। महिला हितों से जुड़े प्रत्येक प्रकरण में संवेदनशीलता, तत्परता एवं प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।”

जनपद पुलिस की प्रतिबद्धता

जनपद आजमगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अन्य लंबित प्रकरणों को भी चिन्हित कर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, ताकि प्रत्येक पीड़िता को समयबद्ध न्याय मिल सके।

भरण–पोषण प्राप्त पीड़ित महिलाओं द्वारा माननीय न्यायालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं शासन-प्रशासन के प्रति भूरी-भूरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया गया।

थाना– जहानागंज, जनपद– आजमगढ़

□ गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

□ संगठित गिरोह बनाकर गोमांस तस्करी जैसे अपराधों में सक्रिय थे अभियुक्त

□ मु0अ0सं0 73/26 धारा 2(ख)(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में कार्रवाई

आजमगढ़। थाना जहानागंज पुलिस द्वारा संगठित अपराध में संलिप्त गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

➡□ पूर्व का विवरण—

दिनांक 30.03.2026 को थानाध्यक्ष जहानागंज द्वारा क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं अपराधियों की निगरानी के दौरान प्रकाश में आया कि गिरोह सरगना फकरुद्दीन उर्फ फखरुद्दीन अपने सहयोगियों सद्दाम उर्फ सद्दाम हुसैन एवं शगुफ्ता उर्फ सगुफ्ता बानो के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह संचालित कर रहा है। गिरोह आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गोमांस तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में सक्रिय था।

गिरोह के विरुद्ध तैयार गैंगचार्ट को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित किए जाने के उपरांत थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 73/26 धारा 2(ख)(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

➡□ गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 30.03.2026 को व0उ0नि0 सविन्द्र राय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों की तलाश के क्रम में पान चौक कस्बा बगीचा थाना जहानागंज क्षेत्र से

फकरुद्दीन उर्फ फखरुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन उर्फ मन्नू

सद्दाम उर्फ सद्दाम हुसैन पुत्र जहीरुद्दीन उर्फ मन्नू

निवासीगण पान चौक कस्बा बगीचा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

को समय लगभग 12:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए नियमानुसार न्यायालय भेजा गया।

➡□ पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 73/26 धारा 2(ख)(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

➡□ आपराधिक इतिहास (संक्षेप)—

अभियुक्तगण पूर्व में गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट एवं गिरोहबन्द अधिनियम से संबंधित अभियोगों में संलिप्त रहे हैं।

➡□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

व0उ0नि0 सविन्द्र राय

हे0का0 राकेश यादव

का0 प्रदीप यादव

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़